casually mentioned about the paucity of funds during the interregnum between the non-receipt of fees payable by newspapers and the release of grants-in-aid by the Government.

(b) Section 15(1) and Section 15(3) of the Press Council Act, 1978 confers on the Council the same powers as are vested in a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure 1908 and every enquiry held by the Council shall be deemed to be a judicial proceeding within the meanings of Sections 193and 228 of IPC. However, the Council does not have any legally enforceable sanction behind its pronouncements. The purpose of the PCI is to maintain the standard of newspapers and preserve freedom of the Press.

The power of censure under Section 14 of the Act should itself be a sufficient deterrent and preventive measure. The verdicts of the Council have been generally accepted. Having regard to the positive role being played by the Press Council. the question of its disbanding does not arise. The existing legal provisions are considered adequate.

नया गांव स्थित सीमेंट के कारखाने तथा खोट दामोदरपुरा स्थित विक्रम सीमेंट फैक्टरी में कुशल और अकुशल कर्मकार

1223. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** *क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) 1 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार, मन्दसौर जिले में नया गांव स्थित सीमेंट के कारखाने तथा खोट दामोदर पुरा स्थित विक्रम सीमेंट फैक्टरी में कार्यरत कुशल व अकुशल कर्मकारों की संख्या कितनी है तथा उनमें से कितने कर्मकार जावड़ और नीमच तहसीलों से हैं तथा बाहरी से आये कर्मकारों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि पट्टेनामे में मौजूद शर्त के बावजूद इस प्रकार के किसानों के परिवारों के सदस्यों को, जिनकी भूमि उक्त कारखानों के लिए अधिगृहित की गई थी, प्राथमिकता के आधार पर अभी तक रोजगार नहीं दिया गया है और इसकी बजाय इन कारखानों में खाली पदों पर बाहरी क्षेत्रों के कर्मकारों की भर्ती की जा रही है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार मामले में कुछ कार्यवाही करने तथा पट्टेनामें में दिये गये निबन्धों और शर्तों का उपर्युक्त कारखानों द्वारा अनुपालन किये जाने के लिए राज्य सरकारों को निदेश जारी करने का विचार रखती है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा कृष्ण मालवीय) : (क) से (ग) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Danger to Health due to Pesticides Residue in Fruits and Vegetables

1224. SHRI RAM AWADHESH SINGH : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Governments attention has been drawn to the news report citing findings from USA which highlight dangers posed to human health by pesticides residues in fruits and vegetables as reported in the newstime dated 1st March, 1989 and if so, the details thereof;

(b) whether similar warnings have been given by the National Core-group meeting held at New Delhi on 20th and 21st February, 89 by the Voluntary Health Association of India;